कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया म.प्र.

///कैंटीन नीलामी सूचना पत्र///

इस न्यायिक जिला स्थापना दतिया की कैंटीन का संचालन निर्धारित शर्तों के अध्यधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है । जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक **27.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे** न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कैंटीन संचालन के संबंध में खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं :-

कैंटीन संचालन की शर्तें

01 माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा स्वच्छ न्यायालय अभियान के अन्तर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ।

02 कैंटीन का ठेका जिसका स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि का 03 माह का किराया एक मुश्त अग्रिम जमा कराना होगा ।

03 कैंटीन किराया प्रतिमाह अग्रिम जमा करना होगा ।

04 ठेके के किराये की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करानी होगी ।

05 कैंटीन का न्यूनतम मासिक किराया राशि रूपये **11000/-**है, उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की बोली स्वीकार की जावेगी ।

06 कैंटीन में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।

07 कैंटीन संचालन को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा ।

08 कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी, जॉच में यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है तो कैंटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा ।

09 कैंटीन में किसी प्रकार के मादक पदार्थ एवं तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय नहीं किया जावेगा ।

10 कैंटीन ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा ।

11 कैंटीन आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश दतिया को होगा ।

12 कैंटीन ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी ठेका होने तक की होगी ।

13 कैंटीन ठेका स्वमेव समाप्त करने की दशा में अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी ।

14 कैंटीन ठेका में सम्मिलित भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी अपराधिक मामला पंजीबद्ध/लंबित नहीं होना चाहिए तथा उसका न्यायालय में कोई सिविल विवाद भी लंबित नहीं होना चाहिए ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया म.प्र.